:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 352/16

दायर दिनांकः–01.08.2016
निर्णय दिनांकः–25.03.2022

1. श्री कमजी पिता कलजी मीणा उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी पियोला पंचकुण्डी तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.

वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मण पिता भुरा जाति मीणा आयु वयस्क निवासी पियोला पंचकुण्डी।
2. शंकर पिता भुरा।
3. नर्वदा पत्नि लक्ष्मण
4. बापु पिता शंकर
5. शारदा पिता शंकर
6. तारचन्द पिता भुरा
7. काली पति रमण
8. मोहन पिता शंकर
9. लसी पति ताराचन्द
10. कमला पति मोहन
11. गोरीशंकर पिता लक्ष्मण
12. सुखलाल पिता लक्ष्मण जाति मीणा आयु वयस्क निवासीयान समस्त पियोला पंचकुण्डी तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.
13. श्रीमान भुमिधारी तहसीलदार साहब, तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राज.

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए,209 रा.टि.एक्ट सपठित धारा 151 जा.दि.

उपस्थितः–
1– श्री भगवान गुर्जर वकील वादी

:: निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही गॉव के रहने वाले है। वादी एवं उसके परिवार के अन्य सहखातेदारों के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम पियोला त. चिखली जिला डूंगरपुर में स्थित है। जिसका खसरा नम्बर 3,4,5,6,7,8,9,10,11,40,41,43,308,309,310,311 होकर रकबा कमशः 43 बिघा 12 बिस्वा है।

यह कि वादी एवं अन्य सहखातेदारान का उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादी एवं अन्य सहखातेदारान ने अपनी भूमि प्रतिवादीगण को विकय या हस्तान्तरित नहीं की है। उसके बावजूद प्रतिवादीगण वादी एवं उसके परिवार से लडाई झगडा करने आमादा रहते है। तथा वादी की भूमि पर कब्जा अतिकमण निर्माण की धमकिया देते है।

यह कि दिनांक 30.06.2016 को प्रतिवादीगण वादी के खेत आराजी नम्बर 3 में ज.सी. बी. लेकर आये भूमि का समतलीकरण करने लगे जिस पर वादी तथा अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रतिवादीगण को समझाया कि क्या अकारण विवाद करने हमारे खते में जे.सी.बी. चला रहे हो तो प्रतिवादीगण कहने लगे इस जमीन पर हम कब्जा करना चाहते है यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो वाहन के निचे डाल दिये जाओगे। हम इस खेत में मकान निर्माण करके रहेंगें। अब इस भूमि को हम प्रतिवादीगण ही कमायेंगे तथा यदि वादी या उसके परिवार ने रोकने की कोशिश की तो जान से वादी या उसके परिवार को हाथ धोना पडेगा तथा प्रतिवादीगण यह भी धमकी देने लगे कि प्रतिवादीगण इस भूमि में मकान निर्माण करेंगे।

यह कि प्रतिवादीगण अकारण वादग्रस्त भूमि खसरा न. 3 को लेकर अकारण विवाद कर रहे है तथा मौके पर निर्माण की धमकी भी देने लगे है और धमकी देकर गये है। यह कि प्रतिवादीगण के कृत्य से यह स्पष्ट होने पर की वह वादी तथा अन्य सहखातेदारान को काश्त नहीं करने देंगे ऐसी परिस्थिति में वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण के लडाई झगडे को लेकर वादी काफी मानसिक रूप से परेशान है। क्योंकि कृषि ही वादी व उसके परिवार तथा अन्य सहखातेदारान की आय का एक मात्र जरिया है।

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के खिलाफ इस बात की स्थायी निषधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादी व अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त की भूमि जिसका वर्णन वाद के कॉलम संख्या 2 में किया है पर वादी तथा अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त कार्य में रूकावट पैदा न करे वादी या अन्य सहखातेदारान को तंग परेशान न करें। वादी तथा उसके परिवार को वादग्रस्त भूमि में बूवाई जूताई शांतिपूर्ण ढंग से करने दे। की जाने वाली व की गई फसल को नूकसान नहीं पहूचावे व फसल को काटकर चूराकर न ले जावें। पशुओं से न खिला देवें। वादी की भूमि में किसी प्रकार के कब्जे अतिकमण निर्माण न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे दौराने वाद किसी प्रकार का कब्जा अतिकमण निर्माण वादग्रस्त भूमि में किया जाता है तो उसे विध्वंस किया जाकर कब्जा दिलाया जावें।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीयो को जरिए समन तलब किया गया। तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 (प्रतिवादी संख्या 5 को छोडकर) की ओर से श्री श्रीकान्त जैन का वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में दिनांक 20.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में दिनांक 13.10.2016 को प्रतिवादीगण की ओर से वकील द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। दिनांक 21.12.2016 को वकील वादी ने जवाब प्रतिदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 19.01. 2017 को वकील उभयपक्षारान की उपस्थिति में तनकियात कायम कर स्पष्ट की गई।

वकील वादी ने साक्ष्य के रूप में 1. कमजी 2. बहादूर 3. गौतमलाल के शपथ पत्र पेश किये। प्रकरण में दिनांक 08.09.2021 को वादी की ओर से एडवोकेट श्री भगवान गुर्जर ने वकालतनामा पेश करने हेतु अवसर चाहा जो दिया गया। दिनांक 09.09.2021 को एडवोकेट श्री भगवान गुर्जन ने वादी की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। लम्बे समय से वकील प्रतिवादी की ओर से जिरह नहीं करने पर वकील प्रतिवादीगण की जिरह बन्द की जाती है। दिनांक 18.02.2022 को एक पक्षीय बहस हेतु दिनांक 04.03. 2022 नियत की गई। दिनांक 04.02.2022 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस समाहित की गयी। वादी वकील द्वारा अवगत कराया कि वादी मेहनत मजदूरी कर कृषि कर अपना व अपने परिवार का गूजारा करता है एवं प्रतिवादीण के लडाई झगडे से वादी काफी आहत व परेशान है।

हमारे द्वारा विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस समाहित की गयी तथा पत्रावली का गोर अध्ययन किया गया।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा पियोला तहसील चिखली में वादी के हक के खसरा नं0 3,4,5,6,7,8,9,10,11,40,41,43,308,309,310,311 होकर रकबा कमशः 43 बिघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से परेशान, निर्माण अथवा बेदखल नही करे तथा नही किसी अन्य से करावे। पत्रावली फेसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरे ईजलास किया गया ।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली/डूंगरपुर